चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 28.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 28.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में थाना सरधुवा एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000/- रुपये के इनामियां/फिरौती हेतु अपहरण कर हत्या का वांछित, कुख्यात अन्तर्राज्जीय अपराधी को अवैध तमंचा,कारतूस व मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आशीष पटेल उर्फ दस्सा पुत्र शिवपूजन सिंह निवासी चित्रागोकुलपुर, सीतापुर, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः

1.मु0अ0स0 158/2018 धारा 341,397,327,323,506,34 भादवि0 थाना नयागांव सतना म0प्र0

2. मु0अ0स0 107/2019 धारा 395,397 भादवि0 व 11/13 एडी एक्ट थाना नयागांव सतना म0प्र0

3.मु0अ0स0 126/2020 धारा 25/27 आयुध अधिनियम व 11/13 एडी एक्ट थाना नयागांव सतना म0प्र0

4. मु0अ0स0 158/2018 धारा 341,397,327,323,506,34 भादवि0 थाना नयागांव सतना म0प्र0

5.मु0अ0स0 08/2021 धारा 147,149,341,294,323,506 भादवि0 थाना नयागांव सतना म0प्र0
6.मु0अ0स0 09/2021 धारा 147,149,294,323,506 भादवि0 थाना नयागांव सतना म0प्र0
7.चालानी क्रमांक संख्या 39/2023 धारा 110(6) जा0फौ0 थाना नयागांव सतना म0प्र0
8.मु0अ0स0 02/2021 धारा 302,394120बी भादवि0 थाना फतेहगंज जनपद बांदा उ0प्र0
9.मु0अ0स0 06/2021 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहगंज जनपद बांदा उ0प्र0
10.मु0अ0स0 314/2019 धारा 147,323,504 भादवि0 व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट
11.मु0अ0स0 24/2024 धारा 364ए,302,201 भादवि0 व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना रैपुरा चित्रकूट उ0प्र0
12.मु0अ0सं0 50/2024 धारा 307(पुलिस मुठभेड़),411,419,420,467,468,471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरधुवा चित्रकूट

बरामदगी-

(1). 01 अदद तमंचा 315 बोर
(2). 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
(3).01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
(4).मोटरसाइकिल BAJAJ CT 100 रंग काला लाल बिना नम्बर प्ले

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

स्थान- सरधुवा कमासिन मार्ग पर ग्राम लमियारी के पास बंधे व पिलर के पास बहद ग्राम लमियारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट, **दिनाँक** 27/28.03.2024 की रात **समय**-03.48

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि कमासिन, बाँदा की तरफ से रैपुरा थाने में हत्या से सम्बन्धित वांछित 25,000/- रुपये का इनामियां अपराधी आशीष उर्फ दस्सा पटेल एक मोटरसाइकिल से सरधुवा की तरफ आ रहा है यदि जल्दी किया जाये तो वह पकड़ा जा सकता है । इस सूचना पर थाना सरधुवा एवं एसओजी की टीम मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंच कर इन्तजार करने लगे कि कमासिन बाँदा की तरफ से एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिसे नजदीक आने पर टार्च की लाईट देकर रोकने का प्रयास किया तथा पुलिस टीम के सदस्य उसकी तरफ दौडकर उसे पकडने हेतु आगे बढ़े कि वह अचानक पुलिस टीम को अपनी तरफ आता देखकर अपनी मोटरसाइकिल एकाएक बायें तरफ मोडकर भागना चाहा कि हड़बडाहट में मोटरसाइकिल लेकर गिर गया। जैसे ही पुलिस टीम ने टार्च जलाकर उसकी ओर नजदीक बढ़े कि उस व्यक्ति ने खडे होकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया जिससे पुलिस टीम के सदस्य बाल- बाल बच गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया जिसमें बदमाश कराहते हुए जमीन पर गिर गया, पुलिस टीम द्वारा जमीन पर गिरे हुए व्यक्ति को घेरकर पकड़ लिया गया जिसके दाये तरफ घुटने में गोली लगी थी, पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए सतर्कता के साथ तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम **आशीष पटेल उर्फ दस्सा पुत्र शिवपूजन सिंह निवासी चित्रागोकुलपुर, सीतापुर, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट** बताया एवं उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा मौके से जमीन पर पड़े 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व मोटरसाइकिल BAJAJ CT 100 रंग काला लाल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुये । घायल बदमाश आशीष पटेल उपरोक्त थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट मं पंजीकृत मु0अ0स0 24/2024 धारा 364ए,302,201 भादवि0 व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में भी वांछित व इनामिया अभियुक्त है।

गिरफ्तारशुदा इनामियां अपराधी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कस्बा व थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट निवासी श्री राजधर के पुत्र का अपहण कर 50 लाख रुपये कि फिरौती मांगी थी एवं बाद में बालक की हत्या कर दी गयी थी, गिरफ्तार अभियुक्त के 03 साथियों को दिनाँक 13.02.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जिसके सम्बन्ध में थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट मे मु0अ0स0 24/2024 धारा 364ए,302,201 भादवि0 व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत है। घटना के बाद से अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था, जिसके गिरफ्तार पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की तरफ से 25,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना सरधुवा की टीम

1.प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी
2.अपराध निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह
3.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय
4.उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा
5.आरक्षी चालक राहुल पुरी
6.आरक्षी अतुल मिश्रा
7.आरक्षी दिनेश कुमार
8.आरक्षी शक्ति सिंह

एसओजी टीम के सदस्यः-

1.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार
2.मुख्य आरक्षी नितेश समाधिया
3.आरक्षी रोहित सिंह
4.आरक्षी आशीष सिंह
5.आरक्षी रोशन सिंह
6.आरक्षी राघवेन्द्र सिंह
7.आरक्षी पवन राजपूत
8.आरक्षी गोलू भार्गव
9.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 55 क्वार्टर देशी व 19 लीटर कच्ची बरामद की गयी।

(i). उ0नि0 श्री राहुल सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अखिलेश उर्फ मुखिया पुत्र मोहन प्रसाद निवासी कुली तलैया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 19 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त खुशबू रैदास पुत्र भगवानदीन निवासी चनहट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री रामअधार सिंह थाना बरगढ़ तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त राजकुमार कोल पुत्र मसुरिया निवासी पनहाई को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 10 अभियुक्तों के विरूद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(1). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह द्वारा अभियुक्त 1. रज्जू पुत्र पुरूषोत्तम 2. धर्मेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र हीरा सिंह 3. विकास सिंह पुत्र नरेन्द्र निवासीगण गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 4. नत्थू तिवारी पुत्र सत्यनारायण निवासी छिरिहाई 5. भोला पुत्र नथुवा निवासी कहारन पुरवा मजरा हुनवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(2). प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य द्वारा अभियुक्त 1.पंकज आदिवासी पुत्र ननकउ 2. शनि आदिवासी पुत्र फदाली निवासी विनोबा नगर थाना बरगढ़ 3. रमेश पुत्र धनश्याम निवासी कोल मजरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(3) प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी द्वारा अभियुक्त 1. समीर उर्फ मुसुवा पुत्र नत्थू निवासी गडौली 2. पप्पू पुत्र बाबू निषाद निवासी पिलखनी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरूद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोक सभा चुनाव -2024 को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों से 02 अदद तमंचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

1. चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री सत्यम पति त्रिपाठी तथा हमराही आरक्षी श्यामू द्वारा अभियुक्त शिवम उर्फ बूटी पुत्र अजय कुमार श्रीवास निवासी पुरानी बाजार द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

2. उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना राजापुर तथा उनकी टीम उ0नि0 श्री इमरान खान,आरक्षी संजय सिंह यादव,आरक्षी मनीष यादव द्वारा अभियुक्त मथुरा उर्फ कल्लू पुत्र चन्द्रशेखर आरक निवासी मलवारा थाना राजापुर को 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 वारण्टी व 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i) थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा हमराही आरक्षी अखिलेश तोमर द्वारा मु0नं0 3081/15 धारा 174क भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त छोटा उर्फ छोट्टन जमादार पुत्र मिक्खू जमादार निवासी खमरिया थाना भरतकूप को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह थाना राजापुर एवं उनके हमराही उ0नि0यू0टी0 अंकित सिंह,मुख्य आरक्षी अतीक अहमद द्वारा मु0अ0सं0 62/2024 धारा 323/504/506/308 भादवि0 के वांछित अभियुक्त 1.रामसुख पुत्र रामसनेही 2. पंजाबी पुत्र रामसनेही 3. उमाशंकर पुत्र रामसुख निवासीगण उत्तमपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना राजापुर तथा उनके हमराही मुख्य आरक्षी मुकेश सिंह, आरक्षी विमलेश व आरक्षी प्रकाश मिश्रा द्वारा मु0नं0 2738/2021 अ0सं0 336/2020 धारा 323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त नन्हू निषाद पुत्र वासुदेव निषाद निवासी ग्राम बेराउर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv) उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 127/2017 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि0 व 4/21 खान खनिज अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त अर्जुन चिकवा पुत्र मंगल दास निवासी अहिरी, हाल पता ग्राम हटवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(v) उ0नि0 श्री हारुन रशीद थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी नरेन्द्र सिंह मु0नं0 3403/2017 धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त पहलवान पुत्र बृजलाल निवासी ग्राम वीदर पुरवा मजरा गोंडा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vi) उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा मु0नं0 2149/2020 अ0सं0 3855/2008 के वारण्टी अभियुक्त घासी उर्फ राजबहादुर केवट पुत्र कामता प्रसाद निवासी शंकर बाजार कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह एवं परोपकार मुख्य आरक्षी नियाज राइन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय ग्राम न्यायालय मानिकपुर चित्रकूट सुश्री खुशबू चन्द्र द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 140/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त केशलाल पुत्र शिवलोचन 2. अच्छुत कुमार पुत्र शंभूनाथ निवासीगण गोविंद नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 200-200 रूपए के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(9). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश चतुर्थ श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 40/2004 धारा 364/307 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मोहम्मद अली पुत्र रहमत अली निवासी कोट थाना खखरेरू जिला फतेहपुर को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 01.05.2004 को वादी राजकुमार पुत्र नाटी निवासी चांदी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई व जीजा को पकड़कर ले जाना तथा जीजा को गोली से मारकर घायल कर देना सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 40/2004 धारा 364/307 भादवि0 पंजीकृत किया गया। तत्कालीन निरीक्षक श्री प्रेमकुमार पाण्डेय द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनाँक 20.06.2004 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

(10) आज दिनाँक 28.03.024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में एस0एस0बी फोर्स के जवानों ने थाना क्षेत्र के ग्राम कस्बा राजापुर, खटवारा, मलवारा, आजाद का पुरवा, भभेट के अन्तर्गत मतदान केन्द्रो में एरिया डोमिनेशन किया गया, साथ ही आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक होकर मतदान करें।